are not amenable for classification separately into expenditure in the rural and urban areas. It is not therefore possible to work out the share of rural and urban areas.

(c) The Central Statistical Organisation, which is the official agency for estimating country's national and per capita incomes, does not compile rural and urban per capita incomes separately.

(d) and (e). Reduction in the existing income, regional and other disparities is the continuing concern of the Government. Ever since the beginning of the planning era in 1951, the thrust of policy has been for an integrated development of the country. Emphasis has been placed on the development of agriculture, irrigation, village and small industries and rural transportation. The framkork of the Sixth Five-Year Plan 1980—85 recognises that "the hard core of poverty is to be found in rural areas," and that the sloution of the problem lies in the accelerated rural development. The steps for achieving this are enumerated in the plan frame. The formulation of the budgetary policies of the Centre and the States, and the sectoral allocation of resources are governed by the priorities and programmes incrporated in the five-year Plans.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की खेती करने वालों को दिये गये पट्टों की संख्या

665. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम के दिये गये पट्टों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या झाबुआ जिले की पेटलावाड तहसील के खेती करने वालों को पट्टे न दिये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की काश्त के लिए जारी किये गये पट्टों (लाइसेंसों) की संख्या क्रमश: 71,689 और 55,760 थी ।

(ख) और (ग). एक शिकायत प्राप्त हुई थी । जांच करने पर यह पता चला है कि जिन काश्तकारों को लाइसेंस नहीं दिये गये थे, वे या तो नये काश्तकार थे अथवा वे काश्तकार थे, जिन्हें, फसल वर्ष 1979-80 के दौरान औसत पैदावार कम देने के कारण, लाइसेंस-विहीन कर दिया गया था । लाइसेंस जारी करने विषयक सिद्धांतों के अनुसार इन वर्गों के काश्तकार लाइसेंस पाने के पात्र नहीं हैं ।

बिहार में पारसनाथ, सूर्यकुण्ड राष्ट्रीय उद्यान आदि का विकास

666. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बतानेज की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पर्यटन और विमानन क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी निवेश किया गया है जिसके फलस्वरूप उस राज्य में पारसनाथ (गिरिडीह), सूर्यकुण्ड (बड़कथ-हजारीबाग), रा ट्रीय उद्यान (हजारी बाग),तितय्या बांध (हजारी बाग), कजरप्पा (गोता) आदि जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को देखने के लिए कम पर्यटक आते है ;

(ख) क्या वहां विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों के लिए होटलों, रेस्तराओं आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और